**(वाद सं0.-531/4/26/2021)**

14.10.2022
17.10.2022

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, कन्हैया प्रसाद, सेवानिवृत्त सहायक प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना को सेवानिवृति के उपरान्त किडनी रोग से ग्रसित रहने पर भी विभागीय परिवहन मद की शेष राशि का भुगतान नहीं किये जाने से संबंधित है।

उक्त पर **महाप्रबंधक, बिहार स्टेट एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेश लि0, बिहार, पटना** से प्रतिवेदन कीं मांग की गई। **उप महाप्रबंधक, परिवहन, बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0, बिहार, पटना** द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि " **निगम मुख्यालय के पत्रांक 4172, दिनांक 04.06.2022। द्वारा श्री प्रसाद के अवशेष राशि का आवंटन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पटना को उपलब्ध कराया गया, जिसके आलोक में जिला कार्यालय, पटना के पत्रांक 1315 दिनांक 23.06.2022 द्वारा 8,96,332/-(आठ लाख छियान्वें हजार तीन सौ बतीस) रू0 मात्र श्री कन्हैया प्रसाद को उपलब्ध करा दिया गया है।"**

उक्त प्रतिवेदन पर राज्य आयोग द्वारा परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गई। परिवादी का अपने प्रत्युत्तर में कथन है कि उसे शेष बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है साथ-ही-साथ राज्य आयोग को इस कार्य के लिए उनके द्वारा आभार भी व्यक्त गया है।

अब जबकि परिवादी के शिकायत का संबंधित प्राधिकार द्वारा संतोषजनक समाधान कर दिया गया है तो ऐसी परिस्थिति में **उप महाप्रबंधक, परिवहन, बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0, बिहार, पटना** के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर **संचिकास्त** किया जाता है।

तद्नुसार , आज पारित आदेश की प्रति संलग्न करते हुए परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

**(उज्ज्वल कुमार दुबे)**
**सदस्य**

निबंधक